



कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष (कार्या.) : 0755-2550488, 2550412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

फा.क्र.10-क/चार/निरर्हित/2022/ 3280
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10-06-2022

श्री अमित कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन,
नई दिल्ली

विषय:—लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2018—लोक प्रतिधिनियम 1951 की धारा 10क के तहत आयोग द्वारा निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों की सूची राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कराने की सूचना देने बावत्।

- संदर्भ:—1. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/7899 दिनांक 04.05.2022
2. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/7895 दिनांक 04.05.2022
3. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/7624 दिनांक 02.05.2022
4. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/7628 दिनांक 02.05.2022
5. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/8479 दिनांक 06.05.2022
6. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/8541 दिनांक 06.05.2022
7. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/8549 दिनांक 09.05.2022
8. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/10015 दिनांक 19.5.2022
9. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/10019 दिनांक 19.5.2022
10. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-LA/2018/WS-I/10023 दिनांक 19.5.2022
11. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-HP/2019/WS-I/10027 दिनांक 19.5.2022
12. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र.76/MP-HP/2019/WS-I/10146 दिनांक 20.5.2022

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित आदेशों का अवलोकन करें। आयोग के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा न करने के कारण निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों के आदेश का प्ररूप का प्रकाशन सर्व साधारण की जानकारी हेतु राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करा दिया गया है।

उक्त राजपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

Shukla
6/6/22

(प्रमोद कुमार शुक्ला)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.10-क/चार/निरर्हित/2022/3281

भोपाल दिनांक 10-06-2022

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।
2. रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त, लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव/अध्यक्ष, समस्त राजनैतिक दल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री राहुल बाघमारे, वेबडिजाईनर, कार्यालय मु.नि.प. म.प्र. की ओर प्रेषित कर आदेशित किया जाता है की आयोग के उक्त पत्र की प्रति सर्व साधारण की जानकारी हेतु सीईओ पोर्टल पर अपलोड कर शाखा को अवगत करावें।

Shukla
6/6/22

(प्रमोद कुमार शुक्ला)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश